

दिनांक

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री अलखदेव प्रसाद,  
निदेशांक माध्यमिक शिक्षा  
झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,  
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

विषय:-

झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को  
सी0बी0एस0ई0 से सम्बन्धन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र  
निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग  
झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी0बी0एस0ई0 से राज्य के अन्तर्गत  
संचालित निजी विद्यालयों की सम्बद्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नीचे  
अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापति प्रमाण-पत्र <sup>निर्गत</sup> करने का निर्णय लिया  
गया है :-

क्रमांक- विद्यालय का नाम

1. व्रीज फोर्ड स्कूल, तुमुदाना, रांची
2. टेन्डर हर्ट सिनियर सेकेंड्री विद्यालय, तुमुदाना, रांची
3. राधागोविन्द पब्लिक स्कूल, जाराटोला, रामगढ़ कैन्ट
4. गिजली विद्यालय, तिलैया डैम, कोडरमा ।
5. मर्वर्स इन्टरनेशनल एकादमी, मधुपुर
6. गीता देवी डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल देवघर ।
7. रेडरोज स्कूल, कास्टर टाउन, देवघर ।
8. आर0के0पब्लिक स्कूल, गढ़वा ।
9. सरस्वती शिशु विद्यामंदिर बाघमारा, धनबाद ।
10. मॉडर्न पब्लिक स्कूल, हुमरी तिलैया, कोडरमा ।
11. श्री कृष्णा विद्या मंदिर, विकास नगर, रामगढ़ कैन्ट ।
12. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, डहरा, रांची ।

क. शर्तियाँ :-

1. विधालय की वार्षिक वक्त आय 10% से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो वक्त होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा। विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर सुगतान करना होगा।
2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 30 वर्षों के निर्बंधन पट्टा/लीज पर होना चाहिये। यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या फैंडिशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्रहित में होना चाहिये। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्द्धन शारीरिक एवं ब्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।
8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये।
9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विधालय संचालन हेतु गणित नियमावली के आधार पर गणित शास्त्री निकाय के सदस्यों की कार्य-प्रतिष्ठा पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन क्लब प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तियों का पालन करना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाये या विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विरुद्ध किया जा रहा है हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

5  
15.

है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहें विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा कर सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. स्तद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकाहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शक्तों के उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति एक प्रमाण-पत्र मांगते लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

*Ash*  
21/4/2003  
॥अलखदेव प्रसाद॥  
निदेशांक॥माध्यमिक शिक्षा॥  
झारखंड, राँची ।

ज्ञापक-935/राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रतिलिपि, संबंधित सभी क्षेत्रीय उप निदेशांक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

*Ash*  
21/4/2003  
॥अलखदेव प्रसाद॥  
निदेशांक॥माध्यमिक शिक्षा॥  
झारखंड, राँची ।

ज्ञापक-935/राँची, दिनांक 21 अप्रैल, 2003

प्रति लिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव & सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*Ash*  
21/4/2003  
॥अलखदेव प्रसाद॥  
निदेशांक॥माध्यमिक शिक्षा॥  
झारखंड, राँची ।

*R Singh*

Manager  
Red Rose School  
B. Deoghar